29.07.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थ।

प्रार्थी का मूल वाद इसी स्तर पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीलकुमार चौहान)
RAS.